न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2017

अनवान :

मौहम्मद तूफेल पुत्र श्री बरकत अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं0 8 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. बरकत अली पुत्र श्री हसनखां कायमखानी निवासी भादरा।
2. मुस्कान पुत्री बरकत अली जाति कायमखानी निवासी भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 26.10.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 बीएचडी के खाता सं0 470/152 के मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.2650 है0 मु0नं0 24 के किला नं0 1 से 11 की 2.7830 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 19, 20 की 2.6550 है0 मु0नं0 32 के किला नं0 5 की 0.253 है0 कुल 28 खसरा का कुल क्षेत्रफल 6.9570 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी बरकत अली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 बरकत अली वादी का पिता है एवं प्रतिवादी सं0 1 के दो सन्तान वादी व उसकी बहन प्रतिवादीया मुस्कान है। प्रतिवादी बरकत अली को उपर वर्णित कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है जो प्रतिवादी बरकत अली के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हुई जिसमें वादी का प्रतिवादी बरकत अली के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर है।

प्रतिवादी सं0 1 बरकत अली के नाम दर्ज उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 बरकत अली संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है एवं उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीया मुस्कान ने अपना हक हिस्सा पूर्व में ही अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 बरकत अली व भाई वादी मौहम्मद तूफेल के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज[illegible]हित निहित नहीं हो[illegible]र किया। इस प्रकार स्टेट की जबाबदेही बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7 बीएचडी के खाता सं0 470/152 में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी खाता सं0 470/152 पेश की है उसमें पूर्व की प्रविष्टियों वादी के दादा हसनखां वल्द फरीदखां के नाम से व प्रस्तुत फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 भादरा सम्वत् 2016 में कृषि भूमि वादी के परदादा फरीदखां वल्द ईसुखां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 भादरा सम्वत् 2016 से मिलान करने पर वर्तमान जमाबन्दी से विवादित आराजी की पुष्टी होती है। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत सदस्यता प्रमाण में बरकत अली पुत्र हसन खां के मौजूदा वारिसान में पत्नी मैहरूनिशा, एक पुत्र मोहम्मद तुफेल व एम पुत्री मुस्कान होना एवं इसके अलावा अन्य कोई जायज सदस्य नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 बीएचडी के खाता सं0 470/152 के मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.2650 है0 मु0नं0 24 के किला नं0 1 से 11 की 2.7830 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 19, 20 की 2.6550 है0 मु0नं0 32 के किला नं0 5 की 0.253 है0 कुल खसरा 28, कुल क्षेत्रफल 6.9570 है0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी बरकत अली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित आराजी में से प्रतिवादी सं0 2 मुस्कान ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर दी है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शुद्धपत्र दिनांक 13.12.17

निर्णय के अन्तिम पृष्ठ ... लाइन तीन, 5, व अनुच्छेद ... खाता सं. 470/152 के स्थान पर 170/152 पढ़ा जावे 2.65550 के स्थान पर 2.6560 है. पढ़ा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2017

अनवान :

मौहम्मद तूफेल पुत्र श्री बरकत अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं0 8 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बरकत अली पुत्र श्री हसनखां कायमखानी निवासी भादरा।
2. मुस्कान पुत्री बरकत अली जाति कायमखानी निवासी भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 बीएचडी के खाता सं0 470/152 के मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.2650 है0 मु0नं0 24 के किला नं0 1 से 11 की 2.7830 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 19, 20 की 2.6550 है0 मु0नं0 32 के किला नं0 5 की 0.253 है0 कुल खसरा 28, कुल क्षेत्रफल 6.9570 है0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी बरकत अली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित आराजी में से प्रतिवादी सं0 2 मुस्कान ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर दी है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

संशोधन (दिनांक [illegible])

खाता सं. 470/152 के स्थान पर [illegible]/152 पढ़ा जावे
व मु० क्षेत्रफल 2.6550 के स्थान पर 2.6560 पढ़ा जावे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)